

रजिस्ट्रार के

फर्द अहकाम

बनाम

वेदप्रकाश कौर



18/2014

प्राथमिक पत्र अकमानक

आज्ञा या कार्यवाही के लिये प्रयुक्त नहीं है
COPY - Not Official

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

07-318 अग्रिभाषक संघ द्वारा
आर्थिक रूप से अक्षम रखी गयी
गत आदेश की पालना में दिनांक
14-4-18 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

14-4-18 को उक्त उक्त उक्त, जहाँ
आपको के आधारित के आदेश अक्षम
रिखा जाकर दिनांक 25-4-18 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

25-4-18 को उक्त उक्त गत आदेश
की पालना में दिनांक 22-5-18
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

22/05/18.

साफना
गणेश

प्रकरण राजस्व लोक अदालत
में वाले शजीनामा से निस्तारण
हेतु पेश हुआ। उपस्थित
पक्षकारान को सुना गया, पत्रावली
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों
विधि के सुसंगत प्रावधानों का
अवलोकन किया गया।

~~Signature~~
विराटनगर

प्रकरण दिनांक 01/04/2009 के दर्ज
होकर दिनांक 30/10/2013 को ऊर्ध्व
पेशी में स्थिर हुआ है तथा
प्राथमिक पत्र कागदापरी स्वीकार होकर
पुनः सुनवाई में पेश रखा है, जिसमें



फर्द अहकाम
 राजेश को vs बनाम वेदपुकाच कोयल

नाम न्यायालय

केस संख्या


18/2014

प्राप्त अमानत

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

22/05/18 आज्ञांक तक श्री जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, कतः जवाब प्रार्थना पत्र पढ़ा जा रहा है। प्रकरण में जो-सायल को नौदे की यथास्थिति के लिए पाबन्द किया हुआ है। प्रकरण अर्थात् 9 वर्ष के लम्बित चालू रद्द है, जो न्यायालय में लाद की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अतः प्रकरण इस प्रकार निस्तारित किया जाता है कि यदि जैरसापल अविषय में किसी प्रकार से न्यायालय कोदेश की अवहेलना करते हैं तो सायल नये खीरे से पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे तथा दस्तगत प्रार्थना पत्र श्वारिज किया जाता है। निर्णय मजरे आद पुकाया गया। पजावली नम्बर से इन रेखी




पञ्चम अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत
 न्याय आपके द्वार-2018
 उपखण्ड- विशद नगर (जयपुर)